सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः – श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

अपील संख्याः 2011/07 दायर दिनांक 04.08.2011

अपीलार्थीगण		रेस्पोडेन्ट्स
1. सवाईसिंह पुत्र गंगासिंह, 2. तेजसिंह पुत्र खिंवसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–खुडी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भँवरीया पुत्र रामकरण, 2. धारू पुत्री उरजा, 3. हीरा पुत्री उरजा, 4. राजू पुत्री रामकरण, 5. किशनी पुत्री रामकरण, 6. शान्ति पुत्री रामकरण, 7. हरकू पुत्री रामकरण, समस्त,जाति–जाट, निवासी–खुड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. बाउड़ी, पूर्वसरपंच, ग्रामपंचायत–पावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. किशोरसिंह पुत्र गंगासिंह (फौत), के वारिसान्– 9/1 जगदीशसिंह पुत्र किशोरसिंह, 9/2 छगनकँवर पत्नी किशोरसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–खुड़ी, तहसील–डीडवाना, 9/3 सुरज्ञानकँवर पुत्री किशोरसिंह पत्नी भवानीसिंह उर्फ कालूसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–सरगोट, तहसील–श्रीमाधोपुर, 9/4 धूपकँवर पुत्री किशोरसिंह पत्नी भँवरसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–कुमास, तहसील–लक्ष्मणगढ, 10. प्रभुसिंह पुत्र गंगासिंह, 11. हणमानसिंह पुत्र गंगासिंह, 12. रणजीतसिंह पुत्र भँवरसिंह, 13. लाडकँवर पत्नी खींवसिंह,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अपील, संख्या–2011/07
दायर दिनांक 04.08.2011, निर्णय दिनांक 016.06.2017
सवाईसिंह, वगैरा बनाम् भँवरीया, वगैरा।

		समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–खुड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

अपील, अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट
विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 268 दिनांक 20.06.2009
सरपंच ग्राम पंचायत–पावा द्वारा स्वीकृत, को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थित :–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनांक **01.06.2017**

अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद खुड़ी खेत खसरा नम्बर 04 रकबा 36.19 बीघा में से 1/2 हिस्से की खातेदारी अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट्स नम्बर 09 ता 13 की खातेदारी रेस्पोडेन्ट भँवरीया व स्व0 धारू के नाम दर्ज थी। दिनांक 30.01.1965 को उक्त खसरा नम्बर 04 में से 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट भँवरीया के पिता रामकरण व स्व0 धारूराम पुत्र उर्जाराम ने अपीलार्थी सवाईसिंह व अपीलार्थी तेजसिंह के पिता खींवसिंह को पड़ौस, मध्य–पूर्व में उदापुरी, पश्चिम में नीमाराम इन्द्रपुरा, उत्तर में रामरख जाट, दक्षिण में गणपतसिंह की भूमि में से अपना हिस्सा बैचाण कर दिया तथा भौतिक कब्जा अपीलार्थी को सुपुर्द कर दिया। तब से लेकर सम्पूर्ण खसरा नम्बर 04 पर शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। वर्तमान के पड़ौस हैं, पूर्व में महेशपुरी जो उदापुरी का पोता है तथा नानूपुरी का उदापुरी बड़ा पिता है। पश्चिम में रूपाराम पुत्र नीमाराम, उत्तर में पूसाराम पुत्र रामरखराम जाट, दक्षिण में मोहब्बतसिंह, दशरथसिंह पुत्र गणपतसिह हैं। अपीलार्थी का एडवर्स पजेशन है। अपील पेश के दौरान अपीलार्थी ने काश्त कर रखी थी। वक्त बैचाण उक्त खेत की समस्त नकलें, पट्टा वगैरा भी अपीलार्थी को सौंप दी। अपीलार्थी ने बिगौड़ी भी अदा की है। सम्पूर्ण खेत पर अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 09 ता 13 का दिनांक 30.01.1965 से आज तक कब्जा चला आ रहा है। अपीलार्थी ने राजस्व वाद संख्या 37/09 बअनुवान् सवाईसिंह बनाम् भँवरीया प्रस्तुत किया, उस वक्त तक वादग्रस्त भूमि की खातेदारी में भँवरीया वल्द रामकरण, धारू वल्द उर्जा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में था। धारू नाऔलाद फौत हुआ। रामकरण का स्वर्गवास हो चुका है केवल मात्र अपीलार्थी द्वारा वाद पेश करने के बाद दिनांक 20.06.2009 को रेस्पोडेन्ट भँवरीया ने ग्रामपंचायत पावा के सरपंच से साँठ–गाँठ कर अपनी बहनों व बुआओं के नाम नामान्तरकरण करवा लिया जिसकी जानकारी दौराने वाद अपीलार्थी को, आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश करने पर हुआ, जिस पर अपीलार्थी ने नामान्तरकरण संख्या 268 की प्रमाणित प्रति हेतु ग्रामपंचायत पावा में जानकारी की, मगर वहाँ से नकल प्राप्त नहीं हुई

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

जिस पर तहसील भू–अभिलेख कार्यालय डीडवाना से दिनांक 20.07.2011 को उक्त नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की। अपीलार्थी सवाईसिंह वृद्ध थे व अपीलार्थी तेजसिंह बाहर प्राईवेट नौकरी करते थे इसलिए यह अपील तब पेश की जा सकी थी।

अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:–

अपील के आधार:–

1. यह है कि उक्त नामान्तरकरण की बिना जाँच किये, बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाए, बिना नोटिस दिये, बाला–बाला नामान्तरकण स्वीकृत किया है, जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है।
2. उक्त नामान्तरकरण बाबत् खेत खसरा नम्बर 04 में अपीलार्थी का भी खातेदारी में नाम है। मौके पर जाकर भौतिक कब्जा बाबत् कोई सत्यापन नहीं किया, इसलिए भी यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।
3. रामकरण के स्वर्गवास को करीब 40–45 वर्ष हो चुके हैं तथा उसके पुत्र भँवरीया के नाम नामान्तरकरण भी हो चुका है, फिर पुनः रामकरण की पुत्रियाँ रेस्पोडेन्ट्स राजू, किशनी, शान्ति, हरकू का नाम किसके आदेश से व पूर्व नामान्तरकरण जो भँवरीया के नाम हुआ, उसे निरस्त किये बिना ही पुनः नामान्तरकरण कर दिया, जिससे यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य हैं।
4. धारू नाऔलाद फौत हुआ व धारू व हीरा की आयु भी 70–75 वर्ष से अधिक है तथा उसको किस आधार पर नामान्तरकरण किया, इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया, जिससे यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अपीलार्थीगण की प्रार्थना है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 268 को निरस्त किया जावे।

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जर्ये सम्मन तलब किये गये।

प्रत्यर्थीगण संख्या 08 ता 13 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रकरण में अपीलाथीगण की ओर से प्रार्थना पेश कर निवेदन किया गया कि, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 धारूराम नाऔलाद ही फौत हो चुका है, जिसको रिकॉर्ड पर लिया जाने हेतु निवेदन हुआ, जिसको स्वीकार किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

अपीलार्थीगण की ओर से आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया गया कि, रेस्पोडेन्ट किशोरसिंह का स्वर्गवास दिनांक 28.10.2014 को हो गया व जिसके काययमुकाम–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अपील, संख्या–2011/07
दायर दिनांक 04.08.2011, निर्णय दिनांक 016.06.2017
सवाईसिंह, वगैरा बनाम् भँवरीया, वगैरा।

जगदीशसिंह पुत्र किशोरसिंह, छगनकँवर पत्नी किशोरसिंह, सुरज्ञानकँवर पुत्री किशोरसिंह पत्नी भवानीसिंह उर्फ कालूसिंह जाति–राजपूत निवासी सरगोट तहसील श्रीमाधोपुर तथा धूपकँवर पुत्री किशोरसिंह जाति–राजपूत निवासी कुमास, तहसील–लक्ष्मणगढ को रिकॉर्ड पर लिया जाने का निवेदन पेश हुआ, जिसको स्वीकार किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

प्रत्यर्थी संख्या 09 किशोरसिंह की मृत्यु दिनांक 28.10.2014 को होने का प्रमाण–पत्र तथा ग्रामपंचायत खुड़ी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 268 की प्रमाणित प्रतिलिपि, शामिल मिसल है।

अपीलार्थी जरिये अपील, म्यूटेशन संख्या 268 दिनांक 20.06.2009 द्वारा ग्रामपंचायत खुड़ी को निरस्त किये जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं।

ग्रामपंचायत ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व न तो मौका स्थिति की जाँच की थी तथा न ही अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिया गया है। ग्रामपंचायत के आदेश में विधिक् त्रुटि है।

अतः म्यूटेशन संख्या 268 दिनांक 20.06.2009 द्वारा ग्रामपंचायत खुड़ी, खारिज किये जाने योग्य होने से अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर सरहद मौजा खुड़ी तहसील डीडवाना के आराजी से सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 268 दिनांक 20.06.2009 में पारित ग्राम पंचायत खुड़ी का अपीलाधीन "स्वीकृत आदेश" निरस्त किया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–पावा

निर्णय आज दिनांक **01.06.2017** को कोर्ट कैम्प–पावा सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–पावा

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)
Scanned by CamScanner